

परिचय पत्र (Identity Card)

छात्र प्रवेश के पश्चात् मुख्य अनुशासक के निर्देशानुसार अपना-अपना परिचय पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।

- महाविद्यालय में परिचय पत्र रखना अनिवार्य है। परिचय पत्र न होने पर महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में प्राचार्य को अवगत कराए तथा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देकर परिचय पत्र प्राप्त करें।
- फर्जी परिचय पत्र बनवाने वाले को दण्डित किया जायेगा।
- महाविद्यालय के कार्यालय से कोई भी कार्य बिना परिचय पत्र के नहीं होगा।